

दालत

मुकाम

ओशीराम

बनाम वांटन सिंह

मुकदमा

212

नं.

सन्

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

24

कोई उपाधिक नहीं। पणपकी का अवलोकन
 किया गया। फायल एवं उनके वकील द्वारा
 जौलियाल संस्था वकील तबली का स्टैप नहीं
 पलिया गया। इन्हें पूर्व के कई अवसर
 दिये जा चुके हैं, उनका यह ~~हुक्म~~ हुक्म
 हाजि प्रकार को चलाये रखने के उनकी
 कति नहीं होना जाहिर करती है। अतः
 आदेश 9 नियम 5 CPC के प्रावधानों के
 अन्तर्गत प्राप्ता अदम तबली के खारिज
 किया जाता है। दिनांक 19.06.2023 को
 जारी अन्तरिम अस्बाई निषेधाज्ञा अपात
 की जाती है। पणपकी के सबशुमार
 होकर संलग्न मूलवाद रहे।


 न्यायाधीश
 कोर्ट (अदालत)